न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/13/2020

अपीलार्थी
श्री रामावतार कपूर एडवोकेट,
चैम्बर नं0 04 न्यायालय परिसर, किशनगढ़बास,
जिला अलवर राज0

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी किशनगढ़–बास (अलवर)

प्रवेश तिथि 17.03.2020

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02.07.2020

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 13.02.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाली जातियों की लिस्ट देने एवं संजीव कुमार पुत्र जनकराज निवासी ग्राम व पोस्ट तहनौली तह0 किशनगढ़–बास, जिला अलवर का दि0 25.10.2019 को अन्य पिछड़ा ओ. बी.सी. का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है जिसकी पत्रावली की नकल दिये जाने का अनुरोध किया गया है।
5. आवेदक को आवेदन दिनांकः 13.02.2020 में वांछित सूचना नहीं मिलने/प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना से असहमत रहने के कारण इस न्यायालय को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 12.03.2020 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस क्रमांक कोर्ट/ए.डी.एम. प्रथम/RTIअपील/2020/222–223 दिनांक 17.03.2020 के माध्यम से तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः 2889 दिनांकः 25.03.2020 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया।
9. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के उक्त अधिनियम, 2005 अंतर्गत प्रस्तुत प्रथम आवेदन दिनांकः 13.02.20 पर पत्रांकः विविधळ/108 दिनांकः 28.02.2020 के माध्यम से अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। आवेदन के बिन्दु सं.1 में वांछित जातियों की लिस्ट राज्य सरकार के स्तर पर जारी की जाती है, उनके स्तर पर ही प्रमाणित प्रति जारी की जा सकती है। वेबसाईट से डाउनलोड कर फोटोप्रति उपलब्ध कराई जाना ही उचित है। बिन्दु सं.2 अन्तर्गत वांछित दस्तावेज तृतीय पक्षकार से संबंधित है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 13.02.20 अन्तर्गत ऐसा कोई विस्तृत लोकहित भी नहीं दर्शाया है जिसके आधार पर तृतीय पक्षकार के दस्तावेज की प्रति अन्य पक्षकार को उपलब्ध कराई जा सके।
10. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित है। प्रथम अपील खारिज कर अस्वीकार की जाती है।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)